खुलासा: राज्य में तीन साल से घटते जा रहे ओबीसी छात्र-छात्राएं

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से सच सामने

1.49 लाख ओबीसी छात्र-छात्राओं को मिली थी साइकिल 2023-24 में

1.31 लाख को 2024-25 और 2025-26 में 1.12 लाख छात्र छात्राओं को ही मिली साइकिल

फाइल फोटो

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झारखंड में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राएं साल दर साल कम होते जा रहे हैं। इसका खुलासा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार आठवीं कक्षा में पिछड़ा वर्ग के छात्र-छात्राओं को दी जाने वाली साइकिल में कमी आयी है। पिछले तीन साल में हर साल 18 से 19 हजार छात्र-छात्रा कम हो गये हैं।

राज्य में 2023-24 में 1,49,679 पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को साइकिल दी गई थी। इसमें 74,243 छात्रों व 75,436 छात्राओं को साइकिल मिली थी। वहीं, 2024-25 में 1,31,182 विद्यार्थियों को साइकिल मिली थी। इसमें 65,600 छात्रों व 65,582 छात्राओं को साइकिल दी गई, जबकि 2025-26 में 1,12,793 पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को साइकिल मिली। इसमें 55,822 छात्रों और 56,971 छात्राओं को साइकिल दी गई। राज्य के सरकारी स्कूलों में आठवीं के छात्र-छात्राओ को साइकिल दी जाती है। यह मुख्य रूप से एससी, एसटी, ओबीसी और अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को मिलती है।

नौ जिलों में कम होते गये ओबीसी विद्यार्थी: पाकुड़, सिमडेगा, लोहरदगा, सरायकेला, साहिबगंज, धनबाद, गोड्डा, पलामू और कोडरमा में पिछले तीन साल से लगातार साइकिल के लिए ओबीसी कोटि के छात्र-छात्रा कम हुए हैं। रिपोर्ट की मानें तो पिछले तीन वित्तीय साल में सिमडेगा में क्रमश: 7359, 701 और सिर्फ चार छात्र-छात्राओं को साइकिल मिल सकी है। इसी तरह पाकुड़ में यह संख्या तीन साल में 4480 से 2259 और फिर 1481 हो गई। वहीं, धनबाद में 10389 की संख्या से घटकर 1047 और अगले साल छात्र-छात्राओं की संख्या 819 हो गई है।

तीन सालों में कैसे घटते गए विद्यार्थी

जिला	2023-24	2024-25	2025-26	जिला	2023-24	2024-25	2025-26
रांची	4521	3727	4653	गुमला	981	1601	1334
पाकुड़	4480	2259	1481	देवघर	10503	11790	9000
दुमका	8411	9281	6415	धनबाद	10389	1047	819
सिमडेगा	7359	701	04	गढ़वा	1141	8816	8652
लोहरदगा	1803	491	455	बोकारो	9724	6733	8078
खूंटी	3332	538	541	चतरा	3425	5946	3050
सरायकेला	5175	4578	4025	गिरिडीह	5951	15877	16460
साहिबगंज	6363	5623	5607	गोड्डा	9649	9582	7245
पूर्वी सिंहभूम	2319	5359	2991	पलामू	13005	11326	5475
प. सिंहभूम	946	3025	3899	हजारीबाग	7718	8818	7493
लातेहार	3934	1860	2185	कोडरमा	16021	5964	5495
जामताड़ा	896	3767	4485	रामगढ़	1995	2476	3043

सियासत 30S

लोक भवन में बुधवार को राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मुलाकात कर उन्हें एक से तीन मई तक ऑड्रे हाउस में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला में शामिल होने का आमंत्रण देते केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ। • हिन्दुस्तान

राज्यपाल को सांसद का आमंत्रण

रांची। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से बुधवार को केन्द्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने लोक भवन में भेंट की। उन्हें एक से तीन मई तक ऑड्रे हाउस में आयोजित सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेला में शामिल होने का आमंत्रण दिया। सेठ ने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्थानीय कला, संस्कृति एवं स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहित करना है।

मुख्यमंत्री से नवपदस्थापित अधिकारी मिले

रांची। मुख्यमंत्री से बुधवार को सीएम आवासीय कार्यालय में प्रशासनिक एवं पुलिस सेवा में नवपदस्थापित अधिकारियों ने भेंट की। इनमें चतरा उपायुक्त रवि आनंद, रामगढ़ उपायुक्त ऋतुराज, गढ़वा उपायुक्त अनन्य मित्तल, पाकुड़ उपायुक्त मेघा भारद्वाज, गोड्डा उपायुक्त लोकेश मिश्रा, आईजी अभियान नरेंद्र कुमार सिंह, रामगढ़ पुलिस अधीक्षक मुकेश लुनायत एवं गढ़वा पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर शामिल थे।

दिलीप घोष की डिस्चार्ज याचिका खारिज

रांची। बरियातू स्थित सेना की कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की खरीद-बिक्री से जुड़े मामले में आरोपी दिलीप घोष को झारखंड हाईकोर्ट से राहत नहीं मिली। जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने बुधवार को उसकी याचिका खारिज कर दी। उसने पीएमएलए की विशेष अदालत द्वारा उसकी डिस्चार्ज याचिका खारिज करने, मनी लाउंड्रिंग केस निरस्त करने को लेकर याचिका दायर की थी।

पेपर सौदेबाजी: दो की याचिका पर केस डायरी तलब

रांची। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा में पेपर लीक और सौदेबाजी मामले में पटना के कुम्हरार से गिरफ्तार आरोपी रंजीत कुमार उर्फ चुनचुन की जमानत याचिका पर बुधवार को अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की अदालत में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले की केस डायरी तलब की और अगली सुनवाई 25 अप्रैल तय की। वहीं, अरबिंद चौधरी की अग्रिम जमानत पर आंशिक सुनवाई हुई। दोनों मामले में केस डायरी की मांगी गई।

सोशल मीडिया से

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने एक्स पर लिखा है कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट के साथ पश्चिम बंगाल चुनाव के अंतिम दिन छह जगहों पर रोड शो एवं जनसभा में शामिल हुआ। लोगों का उत्साह देखकर ये लगता है कि हम बंगाल चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम लड़ेंगे और जीतेंगे।

आह्वान: झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री ने कहा- कुचक्र से लड़ने को हर पार्टी कार्यकर्ता रहे तैयार

भाजपा एसआईआर को कुटिल ढंग से अस्त्र बना कर रही प्रयोग

बोले हेमंत

रांची में मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को सआईआर और जनगणना के मुद्दों को लेकर आयोजित बैठक को संबोधित करते पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सह सीएम हेमंत सोरेन। साथ में मौजूद केंद्रीय महासचिव विनोद कुमार पांडेय, विधायक कल्पना सोरेन व अन्य।

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। झामुमो ने बुधवार को दूसरे दिन पार्टी के 12 जिलों के पदाधिकारियों, सांसदों-विधायकों के साथ एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) पर विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर हुई बैठक में एसआईआर और जनगणना के मुद्दों पर चर्चा की गई। झामुमो के केंद्रीय अध्यक्ष सह मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी साथियों से आग्रह किया कि हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं। त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें। यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा है। जागरूक बनें, भागीदारी बढ़ाएं। एक भी वोटर छूटे नहीं।

उन्होंने कहा कि एसआईआर को भाजपा कुटिल तरीके से अस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है। इस कुचक्र से लड़ने की जरूरत है। हर कार्यकर्ता तैयार रहे।

बैठक के दौरान झामुमो पदाधिकारियों ने एसआईआर के पीछे भाजपा की नीयत और नीति पर संदेह खड़ा किया। कहा एसआईआर की आड़ में आदिवासी, मूलवासी, पिछड़े और वंचित समाज से मताधिकार छीनकर उन्हें उपलब्ध राशन कार्ड, पेंशन जैसे महत्वपूर्ण अधिकारों से भी वंचित करने का षड़यंत्र रच रही है। इस पर एक स्वर में कहा गया कि झामुमो का हर कर्मठ सिपाही जनहित और संगठन की मजबूती के लिए पूरी तत्परता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने को तैयार है। बैठक का संचालन झामुमो महासचिव विनोद कुमार पांडेय ने किया। बैठक में रांची, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, रामगढ़, कोडरमा, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार एवं पूर्वी सिंहभूम जिला समिति के चुनिंदा पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान झामुमो उपाध्यक्ष मथुरा प्रसाद महतो, बैद्यनाथ राम, फागु बेसरा, सुप्रियो भट्टाचार्य, सचिव नन्द किशोर मेहता, अभिषेक प्रसाद 'पिंटू', योगेंद्र प्रसाद, कल्पना सोरेन, मंगल कालिंदी, विकास मुंडा, समीर मोहंती, उमाकांत रजक, अनंत प्रताप देव, सोमेश चंद्र सोरेन, कुणाल षाड़ंगी सहित कई पदाधिकारी एवं नेता उपस्थित हुए।

हेमंत ने बताए उपाय

- झामुमो के साथी हर योग्य नागरिक का नाम मतदाता सूची में जुड़वाएं
- त्रुटियों को ठीक कराएं और किसी भी पात्र मतदाता को छूटने न दें
- यह सिर्फ प्रक्रिया नहीं, आपके लोकतांत्रिक अधिकार की रक्षा

पार्टी ढांचे को सशक्त बनाने का निर्देश

बैठक के दौरान देश की मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों पर गहन चिंतन भी किया गया। सीएम ने कहा कि वर्तमान राजनीतिक परिवेश में संगठन की जिम्मेदारी और अधिक अहम हो गई है। उन्होंने बूथ, पंचायत, प्रखंड और जिला स्तर पर पार्टी ढांचे को और सशक्त बनाने का निर्देश दिया, ताकि पार्टी हर स्तर पर प्रभावी भूमिका निभा सके। नगर और महानगर कमेटियों को भी और सक्रिय तथा धारदार बनाने पर बल दिया गया।

जैक मैट्रिक का आज आ सकता है रिजल्ट

रांची। झारखंड में मैट्रिक परीक्षा 2026 का परिणाम गुरुवार या शुक्रवार को जारी हो जाएगा। झारखंड एकेडमिक काउंसिल (जैक) ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। मैट्रिक के साथ इंटरमीडिएट साइंस व कॉमर्स के परिणाम भी जारी हो सकते हैं। जबकि, अगले सप्ताह इंटरमीडिएट आर्ट्स का रिजल्ट आएगा। जैक मैट्रिक परीक्षा में लगभग 4,23,861 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे। वहीं, इंटरमीडिएट परीक्षा में 3,24,321 परीक्षार्थी शामिल हुए थे। इसमें साइंस के 90,579, कॉमर्स के 21,195 और आर्ट्स के 2,12,547 परीक्षार्थी थे।

अधिवक्ता से मांगा गया स्पष्टीकरण

रांची। झारखंड बार कौंसिल चुनाव के मुख्य चुनाव अधिकारी जस्टिस अंबुज नाथ ने अधिवक्ता महेश तिवारी से स्पष्टीकरण मांगा है। उनसे पूछा गया है कि रांची सिविल कोर्ट से दो वर्ष की सजा सुनाए जाने के बाद उनकी क्या स्थिति है। इसी कारण उनके चुनाव परिणाम को फिलहाल रोक दिया गया है। जानकारी के अनुसार, महेश तिवारी ने बार कौंसिल चुनाव में 677 मत प्राप्त कर जीत का आंकड़ा छू लिया है, लेकिन परिणाम होल्ड पर रखा गया है।

मधु सिंह की जमानत शर्तों में संशोधन से कोर्ट का इनकार

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मंत्री कमलेश कुमार सिंह की पत्नी मधु सिंह पर लगाई गई जमानत की शर्तों में संशोधन करने से इनकार कर दिया। इसके बाद प्रार्थी की ओर से याचिका वापस ले ली गई।

जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने मधु को यह छूट दी कि वह निचली अदालत यानी ईडी की विशेष अदालत में स्वास्थ्य आधार पर पासपोर्ट रिलीज करने का आग्रह कर सकती है। दरअसल, हाईकोर्ट ने इस मामले में जमानत देते समय विदेश यात्रा पर रोक लगाने की शर्त लगाई थी, जिसे हटाने की मांग को लेकर यह याचिका दायर की गई थी। इसमें कहा गया था कि वह गंभीर लीवर रोग से पीड़ित हैं तथा बेहतर इलाज के लिए विदेश जाना चाहती हैं।

नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी की होगी जांच

लोकभवन का पत्र

- अपर मुख्य सचिव ने डीजीपी को लिखा पत्र
- पत्र में गुमशुदगी की विशेष समीक्षा व जांच का निर्देश

रांची, हिन्दुस्तान ब्यूरो। राज्यपाल संतोष कुमार कुमार गंगवार ने झारखंड में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी पर चिंता जताते हुए जांच के निर्देश दिए हैं। इस संबंध में राज्यपाल के अपर मुख्य सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने पुलिस महानिदेशक को पत्र लिख कर कहा है कि विगत कुछ दिनों से लगातार राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। कई बार इन मामलों में स्थानीय पुलिस समय पर समुचित कार्रवाई नहीं करती, जिस कारण गंभीर व अप्रिय घटनाएं घट रही हैं।

पत्र में राज्यपाल के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि संलिप्त व्यक्तियों में कानून का भय होना चाहिए। राज्य की प्रत्येक बेटी की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सभी लड़कियां सुरक्षित एवं निर्भय वातावरण में जीवन व्यतीत कर सकें। बता दें कि राज्य में नाबालिग लड़कियों की गुमशुदगी को लेकर राज्यपाल को कई ज्ञापन भी प्राप्त हुए हैं। इसके बाद उन्होंने राज्यभर में गुमशुदगी मामले की विशेष समीक्षा करते हुए जांच का निर्देश दिया है।

सभी जिलों में विशेष समीक्षा का निर्देश: पत्र में कहा गया है कि राज्यपाल ने ऐसी घटनाओं पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस प्रशासन की ऐसी कार्यप्रणाली पर खेद प्रकट किया है। साथ ही निर्देशित किया है कि राज्य के सभी जिलों में गुमशुदगी से संबंधित मामलों की विशेष समीक्षा और प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूर्ण की जाए। साथ ही जिलावार लंबित मामलों का अद्यतन विवरण लोकभवन को उपलब्ध कराएं।

नियुक्ति पर जेएसएससी को निर्णय लेने का निर्देश

हाईकोर्ट

- हाईकोर्ट ने जेएसएससी को दिया निर्देश
- वर्ष 2023 में बीसी-टू में रिक्तियां कम दिखाईं

रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेंड टीचर (पीजीटी) नियुक्ति में आरक्षण से जुड़े मामले की बुधवार को सुनवाई की। इसमें जेएसएससी को याचिका दायर करने वाले अभ्यर्थियों की योग्यता और मेरिट के आधार पर नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

याचिका मनोज वर्मा समेत 100 से अधिक अभ्यर्थियों ने दायर कराई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से बताया गया कि वर्ष 2023 में जेएसएससी द्वारा नियुक्ति के लिए जारी विज्ञापन में बीसी-2 वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों की संख्या कम दर्शायी गई थी। साथ ही राज्य सरकार की आरक्षण नीति की अनदेखी करते हुए बीसी-2 कोटे के पदों में कटौती कर दी गई थी। सुनवाई के दौरान जेएसएससी ने भी स्वीकार किया कि आरक्षण निर्धारण में त्रुटि हुई थी और बीसी-2 कोटे में 100 से अधिक पद कम दर्शाए गए थे।

जज हत्याकांड में अपील पर फैसला सुरक्षित

रांची। धनबाद के जज उत्तम आनंद हत्याकांड में उम्रकैद की सजा पाए दो दोषियों की क्रिमिनल अपील पर सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। धनबाद की सीबीआई कोर्ट ने इस मामले में राहुल वर्मा और लखन वर्मा को दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी, जिसे दोनों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

बैंक ऑफ इंडिया Bank of India BOI Relationship beyond banking

आंचलिक कार्यालय, राँची अंचल
प्रधान टॉवर्स, ओवरब्रिज के पास, मेन रोड, राँची - 834001
सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत गिरवी रखी संपत्तियों की ई-नीलामी विक्रय सूचना

निम्नवर्णित सम्पत्तियों को सरफेसी अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत "जैसा है जहां है के आधार पर" और "जैसा है जो है के आधार पर" और "बिना किसी संसाधन के आधार पर" बेचा जाना है

क्र. सं.	शाखा का नाम / खाता/ उधारकर्ता/ जमानतदार/ बंधककर्ता का नाम / संपत्ति आईडी	गिरवी रखी गई संपत्ति का विवरण	मांग सूचना की तिथि / कब्जा लेने की तिथि / कब्जे की स्थिति / विक्रय सूचना की तिथि	A) आरक्षित मूल्य / B) अग्रधन जमा राशि	बकाया राशि
01	राँची वसूली शाखा / सोनू सिंह / BKIDRANSON	सोनू सिंह के नाम पर स्थित आवासीय संपत्ति का समतुल्य बंधक (EQM), जो फ्लैट संख्या 303, तृतीय तल, सुरेन्द्र एन्क्लेव में स्थित है, जो आर.एस. प्लॉट संख्या 1854 एवं 2130, खाता संख्या 185 एवं 243, थाना- सदर, थाना संख्या- 182, होल्डिंग संख्या- 005000375900Z0, वैक्सपोल फैक्ट्री के निकट, ग्राम- बूटी, जिला- रांची, झारखंड में अवस्थित है। उक्त फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1250.00 वर्ग फुट है तथा इसके साथ एक पार्किंग स्थल भी शामिल है। यह संपत्ति विक्रय विलेख संख्या 7817/6912 दिनांक 30.09.2019 के माध्यम से अर्जित की गई है। विलेखानुसार सीमाएँ : उत्तर: प्लॉट संख्या 2130 (आंशिक) एवं प्लॉट संख्या 1850 (आंशिक), दक्षिण: 20 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क, पूर्व: 21 फीट चौड़ी प्रस्तावित सड़क, पश्चिम: उप-प्लॉट संख्या 1854 (आंशिक)	13(2)- 16.05.2025 / 13(4)- 02.08.2025 / भौतिक कब्जा / विक्रय सूचना तिथि 15.04.2026	A) Rs. 36.30 Lakhs / B) Rs. 3.63 Lakhs	रु. 32.93 लाख + ब्याज एवं शुल्क
02	राँची वसूली शाखा / दयानंद मोदी / BKIDRANDAYM	दयानंद मोदी, पिता स्वर्गीय नाथो मोदी के नाम पर स्थित भूमि सहित भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल निर्मित भवन, चारदीवारी सहित, जो प्लॉट संख्या- 4021, खाता संख्या- 479, क्षेत्रफल- 4.48 डिसमिल, मौजा- तिलैया, वार्ड संख्या- 01, थाना संख्या- 244, तिलैया थाना, जिला- कोडरमा, झारखंड में अवस्थित है। उक्त संपत्ति विक्रय विलेख संख्या- 4023 दिनांक 29.07.2013 के माध्यम से अर्जित की गई है। **विलेखानुसार सीमाएँ :** उत्तर: नवल किशोर दरुका / नवल किशोर दरुका की खुली भूमि, दक्षिण: उपेन्द्र सिंह / उपेन्द्र सिंह की भूमि, पूर्व: 16 फीट चौड़ी सड़क, तत्पश्चात शंकर नाथ झा, पश्चिम: डॉ. डी. पी. सक्सेना	13(2)- 08.09.2022 / 13(4)- 13.03.2023 / सांकेतिक कब्जा / विक्रय सूचना तिथि 15.04.2026	A) Rs. 89.25 Lakhs / B) Rs. 8.92 Lakhs	रु. 42.41 लाख + ब्याज एवं शुल्क
03	राँची वसूली शाखा / मेसर्स एक्वा डिज़ायर वॉटर मेम्ब्रेन / BKIDRANADWM	a) श्री विक्रम सिंह (प्रोप्राइटर) के नाम पर स्थित भूमि का समतुल्य बंधक (EQM), जो मौजा- चरही, थाना संख्या- 21 चरही, अंचल- चर्चू, जिला- हजारीबाग में अवस्थित है। यह संपत्ति विलेख संख्या- 4972 दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से अर्जित की गई है। प्लॉट संख्या: 713, खाता संख्या: 06, क्षेत्रफल: 20.00 डिसमिल, भूमि का प्रकार: आवासीय, **विलेखानुसार सीमाएँ :** उत्तर: महावीर ठाकुर, दक्षिण: बंसी ठाकुर, पूर्व: सूरज सिंह, पश्चिम: लाखराज सिंह एवं धनेश्वर सिंह b) श्री जितेन्द्र सिंह (जमानतदार) के नाम पर स्थित भूमि का समतुल्य बंधक (EQM), जो मौजा- चरही, थाना संख्या- 21 चरही, अंचल- चर्चू, जिला- हजारीबाग में अवस्थित है। यह संपत्ति विलेख संख्या- 4973 दिनांक 08.08.2016 के माध्यम से अर्जित की गई है। प्लॉट संख्या: 713 एवं 682, खाता संख्या: 06, क्षेत्रफल: 18.00 डिसमिल, **विलेखानुसार सीमाएँ :** उत्तर: सोमरिया देवी, दक्षिण: सोना ठाकुर, पूर्व: महावीर महतो, पश्चिम: लाखराज सिंह एवं सूरज सिंह	13(2)- 29.03.2023 / 13(4)- 13.03.20265 / सांकेतिक कब्जा / विक्रय सूचना तिथि 15.04.2026	A) Rs. 49.00 Lakhs / B) Rs. 4.90 Lakhs	रु. 38.66 लाख + ब्याज एवं शुल्क
04	क्लबसाइड शाखा / अंजलि इंटरनेशनल / BKIDRANANJI	1. श्री जय प्रकाश जायसवाल के नाम पर स्थित फ्रीहोल्ड भूमि का समतुल्य बंधक (EQM), जिसका क्षेत्रफल 4 कट्ठा 05 छटाक (जो 7.128 डिसमिल के समतुल्य है) है, जो प्लॉट संख्या- 143 (उप-प्लॉट संख्या- 143/आंशिक), वार्ड संख्या- 02, खाता संख्या- 28, थाना- बरियातू, थाना संख्या- 186, जिला- रांची, झारखंड में अवस्थित है। 2. श्री जय प्रकाश जायसवाल के नाम पर स्थित फ्रीहोल्ड आवासीय संपत्ति का समतुल्य बंधक (EQM), जो फ्लैट संख्या- 302, तृतीय तल पर स्थित "विद्या एन्क्लेव" नामक भवन में अवस्थित है। उक्त फ्लैट का सुपर बिल्ट-अप क्षेत्रफल 1393 वर्ग फुट है, जो लोअर बर्दवान कम्पाउंड, ग्राम- लालपुर, थाना संख्या- 197, वार्ड संख्या- 20, जिला- रांची, झारखंड में स्थित है।	13(2)- 02.02.2026 / 13(4)- 15.04.2026 / सांकेतिक कब्जा / विक्रय सूचना तिथि 21.04.2026	संपत्ति 1 के लिये A) Rs. 106.73 Lakhs / B) Rs. 10.6 Lakhs / संपत्ति 2 के लिये A) Rs. 65.66 Lakhs / B) Rs. 6.56 Lakhs	रु. 300.62 लाख + ब्याज एवं शुल्क
05	गुमला शाखा / मेसर्स माँ देवांती कंस्ट्रक्शन / BKIDRANMDC	श्रीमती देवांती देवी के नाम पर स्थित फ्रीहोल्ड भूमि एवं भवन का समतुल्य बंधक (EQM), जो मोहल्ला- बैंक कॉलोनी, ओल्ड DAV जूनियर विंग स्कूल रोड, लोहरदगा रोड, डुंडुरिया, गुमला नगर परिषद, वार्ड संख्या- 02, थाना संख्या- 44, जिला- गुमला, झारखंड में अवस्थित है। उक्त संपत्ति प्लॉट संख्या- 393, खाता संख्या- 02 के अंतर्गत आती है तथा इसका होल्डिंग संख्या- 354 है। भूमि का कुल क्षेत्रफल 15 डिसमिल है। यह संपत्ति पंजीकृत विक्रय विलेख संख्या- 2338/2308 दिनांक 07.10.2006 के माध्यम से अर्जित की गई है।	13(2)- 17.12.2025 / 13(4)- 19.02.2026 / सांकेतिक कब्जा / विक्रय सूचना तिथि 21.04.2026	A) Rs. 79.14 Lakhs / B) Rs. 7.91 Lakhs	रु. 26.83 लाख + ब्याज एवं शुल्क

संपत्तियों हेतु संपर्क विवरण : क्रं. सं. 1 से 3: शुभम कुमार अग्रवाल – 8370032832, क्रं. सं. 4: सुनील कुमार – 9470155562, क्रं. सं. 5: रविन्द्र टोप्पो – 9162104780

ई-नीलामी की तिथि एवं समय : 26.05.2026 प्रात: 11:00 बजे से अपराह्न 05:00 बजे तक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार के साथ
संपत्ति निरीक्षण तिथि : 25.05.2026 तक (प्राधिकृत अधिकारी से संपर्क करें)

अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें : अनूप गुप्ता (मुख्य प्रबंधक) 7772845416, प्रशांत (प्रबंधक) मोबाइल. 9608851457

ई-नीलामी के नियम एवं शर्तें इस प्रकार हैं : (1) ई-नीलामी अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट **https://baanknet.com** पर प्रदान की गई ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रक्रिया के माध्यम से की जाएगी। (2) ई-नीलामी के नियम और शर्तों के विवरण के लिए, कृपया **https://baanknet.com** देखें। (3) **अद्योहस्ताक्षरकर्ता के पास स्व-विवेक से बिना किसी पूर्व सुचना एवं कारण बताये किसी भी बोली स्वीकृत या अस्वीकृत करने अथवा बिक्री को स्थगित करने/ टालने/ रद्द करने अथवा बिक्री के नियमों को संशोधित करने का सम्पूर्ण अधिकार है।**

स्थान : राँची | विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य है। | **प्राधिकृत अधिकारी बैंक ऑफ इंडिया**

प्रथम पुण्यतिथि

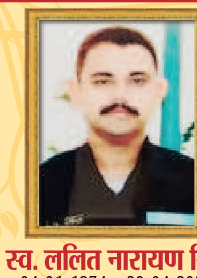

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि, नैनं दहति पावकः।
न चैनं क्लेदयन्त्यापो, न शोषयति मारुतः।।

आपकी मेहनत, आपकी मुस्कान और दूसरों के लिए आपका समर्पण, इन सबने हमारे जीवन में अमिट छाप छोड़ी है। आपकी दयालुता और स्नेह हमेशा हमारे दिलों में ज़िंदा रहेंगे।

स्व. ललित नारायण सिंह
04.01.1974 – 23.04.2025
भूतपूर्व वायुसैनिक – सुर्य किरण टीम

शोकाकुल: **शंभु नाथ सिंह (बड़ा भाई)**
अधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय
एवं समस्त सिंह परिवार

निवास : मकान सं.-192/N, "नियति पुष्प", नॉथ ऑफिस पाड़ा, डोरण्डा, रांची

उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड
नवाड़खेड़ा गौलापार, हल्द्वानी (नैनीताल) पिन-263126
Email : highereducation.dorector@gmail.com

पत्रांक : डिग्री विविध/459/2026-27 दिनांक : 21.04.2026

ई-निविदा

उच्च शिक्षा विभागान्तर्गत मुख्यमंत्री युवा भविष्य निर्माण योजना संचालित किये जाने हेतु राज्याधीन विश्वविद्यालयों एवं शासकीय तथा अनुदानित महाविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों हेतु **सिविल सर्विसेज (UPSC/PSC)** की प्रतियोगी परीक्षा की कोचिंग हेतु देश के विभिन्न प्रतिष्ठित उच्च शिक्षण संस्थानों से ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। इससे सम्बन्धित सभी सूचनायें **http//www.uktenders.gov.in** पर उपलब्ध है। आमंत्रण ई-निविदा का विवरण निम्नवत् है:-

क्र0 सं0	विवरण	दिनांक
1	पोर्टल में निविदा उपलब्ध होने की तिथि	23 अप्रैल, 2026
2	निविदा हेतु प्री बिड सम्मेलन	30 अप्रैल, 2026
3	प्री बिड में उठाए गए बिन्दुओं पर स्पष्टीकरण	04 मई, 2026
4	निविदा जमा (Online) करने की अन्तिम तिथि	14 मई, 2026 सांय 5:00 बजे तक
5	निविदा प्रपत्र की उपलब्धता	http//www.uktenders.gov.in
6	निविदा की तकनीकी प्रस्ताव खोले जाने की तिथि व समय	18 मई, 2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे
7	निविदा के वित्तीय प्रस्ताव खोले जाने की सम्भावित तिथि	22 मई, 2026 पूर्वान्ह 11:00 बजे

निदेशक, उच्च शिक्षा, उत्तराखण्ड हल्द्वानी।